

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ****आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 3959/2026**

पुतान आवेदक(ओं)

बनाम

प्रमुख सचिव, गृह विभाग, लखनऊ के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षीगण(ओं)

आवेदक(ओं) के अधिवक्ता : प्रेम चंद्र चौहान, इशिता सरोज,
काशी राम

विपक्षीगण(ओं) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 11**माननीय न्यायमूर्ति राजीव सिंह**

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।
2. यह जमानत आवेदन, आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 15/2026, अंतर्गत धारा 310(2), 317(3), 111(3), 61(2) भारतीय न्याय संहिता, थाना- तालगांव, जिला- सीतापुर, मे उसे जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक निर्दोष है और वह 24.01.2026 से जेल में है। उनका यह भी तर्क है कि सह-आरोपी ओमकार, जिसकी भूमिका समान है, को इस न्यायालय द्वारा आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 2256/2026 में पारित आदेश दिनांक 16.04.2026 के माध्यम से पहले ही जमानत दी जा चुकी है। इन परिस्थितियों में, आवेदक भी जमानत का हकदार है। जमानत पर रिहा होने की स्थिति में, वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक की जमानत आवेदन का विरोध किया है, लेकिन उन्होंने यह स्वीकार किया है कि सह-आरोपी ओंकार को इस न्यायालय द्वारा पहले ही जमानत दी जा चुकी है।

5. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों, अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री, प्राथमिकी की सामग्री, अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों, सह-आरोपी ओंकार के जमानत आदेश, समानता के आधार और तथ्यों एवं परिस्थितियों की समग्रता पर विचार करते हुए, मेरा मत है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

6. जमानत आवेदन **स्वीकार** की जाती है।

7. उपरोक्त मुकदमा अपराध में आवेदक - **पुतान** को, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप व्यक्तिगत मुचलका और समान राशि के दो

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



विश्वसनीय जमानती प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक उस अपराध के समान कोई अपराध नहीं करेगा या उसमें भाग नहीं लेगा, जिसका उस पर आरोप है या जिसके किए जाने का उस पर संदेह है।

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

(iii) आवेदक को यह वचन देना होगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों, तो वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथि पर स्थगन की मांग नहीं करेगा। इस शर्त का उल्लंघन करने पर, विचारणीय न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर कानून के अनुसार आदेश पारित कर सकती है।

(iv) आवेदक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर विचारणीय न्यायालय के समक्ष स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति की स्थिति में, विचारणीय न्यायालय उसके विरुद्ध धारा 229-ए भारतीय दण्ड संहिता/269 भारतीय न्याय संहिता के तहत कार्यवाही कर सकती है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(v) यदि आवेदक मुकदमे के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 82 दण्ड प्रक्रिया संहिता/84 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत उद्घोषणा जारी की जा सकती है, और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारणीय न्यायालय उसके विरुद्ध धारा 174-ए भारतीय दण्ड संहिता/209 भारतीय न्याय संहिता के तहत कानून के अनुसार कार्यवाही शुरू करेगी।

(vi) आवेदक को विचारण शुरू होने, आरोप तय होने और धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता/351 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर विचारणीय न्यायालय के समक्ष स्वयं उपस्थित रहना होगा। यदि विचारणीय न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या बिना पर्याप्त कारण के है, तो विचारणीय न्यायालय ऐसी चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्यवाही कर सकता है।

8. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन जमानत रद्द करने का आधार होगा।

(न्यायमूर्ति राजीव सिंह)

12 जून, 2026

अर्पण

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।